राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी — जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 11/2020

श्रीमती बिमला पत्नी अमर सिंह जाति गुर्जर उम्र 46 वर्ष निवासी बकरीजा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

.......वादिया

ब—ना—म

1. कृष्ण पुत्र मोहरू
2. मुकेश कुमार पुत्र मोहरू
3. संदीप कुमार पुत्र मोहरू
4. मंजू पुत्री मोहरू
5. बिमला पुत्री मोहरू
   जाति गुर्जर निवासी तिहाड़ा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. दाताराम पुत्र गिरधारी
7. महताब सिह पुत्र गिरधारी
   जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नानूवाली बावडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा— अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक 22—06—2022**

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072 लगायत 2075 के खाता सं. 217 के ख. नं 435 रकबा 1.13 है., ख.नं. 438 रकबा 5.74 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.87 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 का पिता मोहरू दत्तक पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी तातीजा 5.99 है. हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड था। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के पिता मोहरू दत्तक पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी तातीजा ने अपने 5.99 है. हिस्सा में से 0.55 है. भूमि दिनांक 20.06.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादिया को बेचान करदी एवं मूल्य की समस्त राशि प्राप्त कर [illegible] की गई भूमि पर विक्रय के दिन ही वादिया का कब्जा करवा दिया [illegible] भूमि को शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काश्त करती आ रही है। वादि[illegible] ग्रामीण परिवेश की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जिसको कानून का ज्ञान नहीं था इसलिये उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को घर पर ले जाकर रख दिया व अपने नाम से नामांतकरण दर्ज नहीं करवा सकी। विक्रेता मोहरू दत्तक पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी तातीजा का स्वर्गवास हो गया तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासतन नामांतकरण मोहरू दत्तक पुत्र भगवानाराम के स्थान पर वारिशान प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के नाम से दर्ज हो गया इस प्रकार वादिया की खरीद शुदा भूमि 0.55 है. प्रतिवादी स. 1 ल गा. 5 के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई जो हाल जमाबन्दी खाता सं. 89 ख.नं. 435 रकबा 1.13 है., ख.न. 438 रकबा 5.74 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.87 है. प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 ने अपने नाम से दर्ज भूमि पर प्रतिवादी सं. 8 से ऋण ले लिया। वादिया की खरीद शुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं होने से वादिया को भारी हकतलफी है। इसलिये वादिया को यह वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072 लगायत 2075 के खाता सं. 217 के ख.नं. 435 रकबा 1.13 है., ख. न. 438 रकबा 5.74 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.87 है. में से वादिया को 0.55 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे तथा उक्त 0.55 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के हिस्से में से कम की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादिया मुताबिक अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादिया सं. 4 व 5 ने प्रश्नगत भूमि से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है वर्तमान जमाबन्दी से उनका नाम हजफ हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी सं. 4 व 5 के जवाब व तलबी की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

शेष प्रतिवादीगण सं. 6 से 11 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभि[illegible] में [illegible]बंदी संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–1) ग्राम तातीजा, विक्रय पत्र दिनांक 20.06.20[illegible] (प्रदर्श–4ए), जमाबंदी संवत् 2068– 2071 (प्रदर्श–2), संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–3) ग्[illegible] तातीजा पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र श्रीमती बिमला (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र (प्रदर्श–4ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया ने उक्त वादग्रस्त भूमि में से 0.55 है. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 20.06.2016 को प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के हकपूर्वाधिकारी मोहरू दत्तक पुत्र भगवानाराम से खरीदी थी। चूंकि प्रतिवादिया सं. 4 व 5 ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पक्ष में हक त्याग करवा दिया है। हक त्याग के अनुसार वर्तमान जमाबंदियों में प्रविष्टियां जो चुकी है जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः उक्त विक्रय पत्र (प्रदर्श–4ए) के मुताबिक वादग्रस्त भूमि में वादिया को 0.55 है. हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता संख्या 89 के हाल खसरा नंबर 435 रकबा 1.13 है. भूमि में वादिया को 0.55 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया का उक्त 0.55 है. हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के हिस्से में से कम किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:40:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner